बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– अ०सा०नि०/स्था०17–31/2018 122 पटना, दिनांक: 05/07/21

कार्यालय आदेश

श्री शैलेन्द्र कुमार (अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी संवर्ग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया, गया संप्रति प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–5160/गो० दिनांक–03.07.2018 द्वारा गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–205 सहपठित ज्ञापांक–1458 दिनांक–29.07.2019 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) , गया को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, गया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री शैलेन्द्र कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र के द्वितीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

"I. बोधगया मठ के महंथ श्री रमेश गिरि द्वारा एक अजनबी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाकर उत्तराधिकारी घोषित करने तथा ग्राम–परसावॉ की जमीन जो गो० कृपा शंकर गिरि की थी, जिसके संबंध में महंथ रमेश गिरि ने गलत प्रमाण पत्र दिया है कि स्व०गो०कृपा शंकर गिरि के शिष्य सिद्धनाथ गिरि हैं, जबकि सिद्धनाथ गिरि बोधगया मठ के महंथ स्व०सुदर्शन गिरि के शिष्य हैं। वर्त्तमान महंथ गो० रमेश गिरि ने गलत प्रमाण पत्र देकर ग्राम–परसावॉ के जमीन बिक्री कराने के उपरांत आपके द्वारा उत्कर्ष स्टेट इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री सतीश कुमार सिंह एवं शिवेश कुमार, ग्राम मस्तीपुर, थाना–बोधगया के नाम से ग्राम–परसावॉ, थाना–बोधगया, जिला–गया में खाता संख्या–58 के विभिन्न प्लॉटों में कुल रकवा 11.29 डी० भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या–1566/2016–17 में गलत ढंग से स्वीकृत किया गया ।

"II. उपरोक्त आरोपों एवं साक्ष्यों के आधार पर आपके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु पर्याप्त औचित्य उपलब्ध है। "

3. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), गया–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–216/वि०जॉच दिनांक–15.06.2020 द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार पर संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :–

" प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोपों एवं संलग्न साक्ष्यों, आरोपी का स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य की समीक्षा एवं विश्लेषण से आरोप के प्रथम पंक्ति में वर्णित बोधगया के मठ के महंत श्री रमेश गिरि द्वारा एक अजनबी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाकर उत्तराधिकारी घोषित करने के आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि अपर समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–3251/रा० दिनांक–07.11.2017 में बिन्दु(क) में स्पष्ट रूप

से अंकित किया गया है कि मंहथ रमेश गिरि द्वारा किसी अजनबी व्यक्ति को अपना शिष्य एवं उत्तराधिकारी बनाया गया है, परिवाद पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है । इस पर उनके द्वारा कोई मंतव्य नहीं दिया गया है।

आगे आरोप लगाया गया है कि ग्राम– परसांवा की जमीन गो० कृपा शंकर गिरि की थी, जिसके संबंध में महंथ रमेश गिरि ने गलत प्रमाण पत्र दिया है कि स्व० गो० कृपा शंकर गिरि के शिष्य सिध्दनाथ गिरि है, जबकि सिद्धनाथ गिरि बोधगया मठ के महंथ स्व० सुदर्शन गिरि के शिष्य है, के संदर्भ में सुनवाई के क्रम में प्राप्त कराये गये उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों तथा बयानों से यह सिद्ध नहीं होता है कि सिद्धनाथ गिरि, कृपा शंकर गिरि के शिष्य नहीं थे, क्योकि नामान्तरण के बाद स्वयं सुदर्शन गिरि के द्वारा लिखित बयान दिया गया है । श्री सुदर्शन गिरि के हस्ताक्षर से दिनांक–27.07.2010 के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कृपा शंकर गिरि के मरनोपरांत उनके चेला सिद्धनाथ गिरि उर्फ सिद्धी गिरि ही उनके शिष्य हैं। उनके शिष्य होने के नाते उनके चल–अचल संपत्ति के उत्तराधिकारी बने। अपर समाहर्त्ता, गया के द्वारा बिन्दु (ख) में उल्लेखित तथ्य कि सुदर्शन गिरि की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सिद्धनाथ गिरि को दी गयी थी, को आधार बनाकर सिद्धनाथ गिरि को सुदर्शन गिरि का शिष्य बताया गया है, इस साक्ष्य में दम प्रतीत नहीं होता है, क्योकि सुदर्शन गिरि के द्वारा स्वयं लिखित दिया गया है कि सिद्धनाथ गिरि , कृपा शंकर गिरि का शिष्य है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है। पुनः रमेश गिरि के द्वारा उक्त उक्ति को दुहराया गया है। ऐसे यह आरोप सीधे तौर पर रमेश गिरि के विरूद्ध है, न कि आरोपी के विरूद्ध । सिद्धनाथ गिरि स्व० कृपा शंकर गिरि का शिष्य होने के नाते उनके जमीन का पावर ऑफ अटर्नी श्री मुकेश कुमार को किया गया और मुकेश कुमार के द्वारा पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर उत्कर्ष स्टेट प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री सतीश कुमार सिंह एवं शिवेश कुमार को दिनांक–30.07.2016 को निबंधित कर दिया गया। यदि मुकेश कुमार ने गलत किया तो इसके विरूद्ध टाईटिल में जाना चाहिये था जो नहीं गये और उसके बाद इसको निबंधन कराने के क्रम में निबंधन कार्यालय,गया को देखना चाहिए था, किन्तु वहॉ पर भी इसको नहीं देखा गया और उत्कर्ष स्टेट के डायरेक्टर सतीश कुमार सिंह एवं शिवेश कुमार के नाम से निबंधित कर दिया गया। उसके बाद उक्त दोनों के द्वारा दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन अंचलाधिकारी, बोधगया को दिया गया। अंचल अधिकारी, बोधगया के द्वारा इसका जॉच हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से कराया गया तथा जिला सरकारी अधिवक्ता से भी इस बिन्दु पर राय मॉगी गयी। उक्त सवों के द्वारा दाखिल खारिज करने के लायक जमीन रहना बताते हुए दाखिल खारिज करने की सहमति दिया जाने के बाद आरोपी श्री कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के विभिन्न धाराओं के आलोक में राजस्व वसूली की दृष्टिकोण से दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं स्पष्ट किया गया कि इस आदेश से किसी का हकीयत वाद प्रभावित नहीं होगा। यदि कोई पक्ष इस आदेश से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में अपील वाद दायर कर सकता है। आरोपी के द्वारा नया जमाबंदी कायम नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व से कायम जमाबंदी सं०–35/02 से नामान्तरण किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी श्री शैलेन्द्र कुमार , तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया की दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान करने में गलत मंशा परिलक्षित नहीं होती है और उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं होती है।"

4. श्री शैलेन्द्र कुमार के विरूद्ध अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), गया–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1635 दिनांक–13.08.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से मंतव्य की मांग की गयी । जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–1582/गो० दिनांक–13.03.2021 द्वारा समर्पित मंतव्य में उल्लेखित है कि " अपर समाहर्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, गया के पत्रांक–22/गो० दिनांक–22.01.2021 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), गया के जॉच प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान करते हुए श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया को आरोप से मुक्त करने हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतः अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, गया के मंतव्य प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रतिवेदन भेजा जाता है।"

5. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), गया–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्ष एवं उस पर जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार (अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी संवर्ग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया, गया संप्रति प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकरी, रोहतास को भविष्य में अपने कार्यो के प्रति सचेष्ट रहने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री शैलेन्द्र कुमार (अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी संवर्ग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया, गया संप्रति प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकरी, रोहतास को भविष्य में अपने कार्यो के प्रति सचेष्ट रहने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–

(बैद्यनाथ यादव)

निदेशक

ज्ञापांक :– अ०सा०नि०/स्था०17–31/2018 738 पटना, दिनांक : 05/7/21

प्रतिलिपि :–सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना ।

2. अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, गया को उनके पत्रांक–5160/गो० दिनांक–03.07.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, रोहतास/जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया/रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया, गया संप्रति प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकरी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 7/7/2021